न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
कदमा नम्बरः– 42/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

01. श्रीमति रूकमण देवी पत्नि स्व० श्री मांगू उर्फ मांगीलाल जाति ढोली उम्र व्यस्क निवासी धुवाला (क) तहसील करेडा हाल निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा (राज०)
02. राधा देवी पुत्री रय० श्री मागू उर्फ मागीलाल जाति ढोली उम्र व्यस्क निवासी धुवाला (क) तहसील करेडा हाल निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा (राज०)

––– प्रार्थीगण

बनाम

01. जगदीश पुत्र बंशी जाति ढोली उम्र व्यस्क निवासी धुवाला (क) तहसील करेडा
02. देऊ पुत्री बंशी जाति ढोली उम्र व्यरक निवासी धुंगाला (क) तहसील करेडा
03. भंवरी पत्नी बंशी जाति ढोली उम्र व्यस्क निवासी धुवाला (क) तहसील करेडा
04. रामचन्द्र पुत्र शिवलाल जाति बोली उम्र व्यस्क निवासी धुवाला (क) तहसील करेडा
05. रोशन पुत्र शिवलाल ढोली उम्र व्यस्क निवासी धुवाला (क) तहसील करेडा
06. मोहन देवी पत्नि भंवर लाल जाति बलाई उम्र व्यरक निवासी धुवाला (क) तहसील करेडा
07. नारायण लाल पुत्र प्यारचन्द जाति सरगरा उम्र व्यस्क निवासी धुवाला (क) तहसील करेडा
08. भीलवाडा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चिताम्बा जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय चिताम्बा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज०)
09. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, करेडा जिला भीलवाडा (राज.)

–– विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश सिह तंवर ––अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. एकपक्षीय ––अधिवक्ता वि.सं. 1 से 8
3. पेरोकार सरकार –– उपस्थित

:: आदेश :: दिनांक– 07.01.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वादपत्र धारा 88,89,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया संख्या 01 के पत्ति तथा प्रार्थीया सख्या 02 के पिताजी मांगू पुत्र शिवलाल ढोली के नाम पर ग्राम धुवाला (क) पटवार हल्का धुंवाला (क.) तहसील करेडा जिला भीलवाडा के राजस्व रेकार्ड सम्यत् 2068–2071 के खाता संख्या 248 में आराजीनम्बर 671, 672, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2020, 2027 2028 2029 2030 कुल किता 12 कुल रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। जिसमें मांगू का 1/4 हक हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज था। जिसकी जमाबन्दी नकल की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिसे प्रार्थना पत्र में

उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर करेड

गे वादग्रस्त आराजीयात कहा गया है। प्रार्थीया के पति मांगू पत्थर चुनाई का काम करते और काम धंधे की वजह में कुछ वर्षो से अपना पैतृक ग्राम धुंवाला (क) को छोडकर म कटार तहशील आसीन्द में ही निवास कर रहे थे। जिनकी मृत्यु भी ग्राम कटार में ही ई थी। अपने जीवनकाल में मांगू समय-समय पर ग्राम धुंवाला (क) आता-जाता रहता ौर वादग्रस्त आराजीयात में अपने 1/4 हक हिस्से की सार सम्भाल करते हुये, हंकाई वाई कटाई आदि कार्य करता था और मागू की मृत्यु प्रार्थीयागण वादग्रस्त आराजीयात की ार सम्भाल करती थी। प्रार्थीयागण एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 का पारिवारिक ज़जरा प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 05 मे वर्णित है। विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के मन नें फितुर आ जाने से और प्रार्थीयागण के पति / पिता मांगू के दुसरे गाँव कटार निवास करने से. विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 ने राजस्व कर्मचारियों को भी अन्धेरे में रखते हुये मांगू को उसकी पत्नि रहित लाऔलाद फौत बताते हुये उसकी कुलिया वादग्रस्त आराजीयांत का विरासतीय इंतकाल संख्या 1366 दिनांक 21/01/2012 को अपने नाम पर खुलवा दिया। जबकि विरासतीय ईन्तकाल खोले जाने के समय तो मांगू जीवित होकर ग्राम कटार में निवास कर रहा था। जिसकी मृत्यु दो साल बाद वर्ष 2014 में ग्राम कटार में हुई थी। राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने भी बिना जाँच पडताल किये ही मांगू को लाऔलाद सपत्निक फौत मानते हुये विरासत का ईन्तकाल विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर खोल दिया। जबकि प्रारम्भ से ही वादग्रस्त आराजीयात के 1/4 हक हिस्से पर भांगू का तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् विधिक वारिसान होने के नाते प्रार्थीयागण का 1/4 हक हिस्से पर कब्जा कास्त चला आ रहा था। फिर भी जीवित व्यक्ति को ही मृत गताकर खोला गया, उपरोक्त ईन्तकाल अवैध होकर कानून की मंशा के विपरित निर्णित किया गया था। जिसे प्रार्थीयागण पुनः इन्द्राज दुरुस्थी करवाते हुये, अपने नाम खातेदारी की घोषणा करवाये जाने की डिकी प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थीयागण ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रूपयों की अनुदान राशि हेतु आवेदन करने के लिये ई-मित्र के माध्यम से जमाबन्दी खाते की नकले निकलवाई तो जानकारी हुई कि राजस्व रेकॉर्ड में से तो प्रार्थीयागण के पति / पिता मांगू का तो नाम ही दर्ज नहीं हैं। वर्ष 2012 में ही मांगू को सपत्निक लाऔलाद फौत बताते हुये अपने नाम पर ईन्तकाल खुलवा लिया है और विपक्षी संख्या 05 रोशन ने खाता संख्या 92 में से आराजी नम्बर 671. 672 को छोडते हुये अपना हिस्सा विपक्षी संख्या 06 को तथा खाता संख्या 91 में से अपना हिस्सा विपक्षी संख्या 07 नारायणलाल पुत्र प्यारचन्द सरगरा को विक्रय भी कर दिया है। तब प्रार्थीयागण ने विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 से सम्पर्क कर पूछा कि तुमने मांगू का नाम राजस्व रेकार्ड से कैसे कटवा दिया। इस पर विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 धमकाने लगे कि राजस्व रेकार्ड में से हमने मांगू का नाम कटवा दिया है और तुम्हारा नाम भी दर्ज नहीं करवाया हैं। अब तुम्हारा इस भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं है, अतः अब वादग्रस्त भूमि के बारे में सोचना भी मत। तब प्रार्थीयागण को सम्पूर्ण फर्जीवाडे की जानकारी हुई और प्रार्थीयागण ने तहसील कार्यालय करेडा में आवेदन कर के राजस्व रेकॉर्ड की नकलें प्राप्त की। अब राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीयागण का नाम दर्ज नही होने के कारण विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 प्रार्थीयागण को मौके से बेदखलकर वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। यदि विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय कर खुर्द-बुर्द कर देते है तो प्रार्थीयागण अपने 1/4 विधिक हक हिस्से से महरुम हो जायेगी और मौके पर अनेकानेक विवाद बढ़ जायेंगे। जिससे प्रार्थीयागण को अपूरणीय शति होगी जिसकी पूर्ति कदाचित असम्भव होगी। जिसे रोके जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 को राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु, अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रथम

उपखण्ड अधिकारी एवंम
सहायक कलक्टर करेडा

ष्टया मामला, न्याय संतुलन सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थीयागण के पक्ष में है। साथ ही वैध रूप से राजस्व रेकार्ड से प्रार्थीयागण के पति / पिता का नाम काट दिये जाने से पूरणीय क्षति भी प्रार्थीयागण को ही हो रही है। अंत मे प्रार्थना दर्ज करते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

इस पर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये व विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।
अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व निम्न तीनो बिन्दुओ का विवेचन किया जाना न्याय संगत है–

1– **प्रथम दृष्टया मामला**
2– **सुविधा संतुलन**
3– **अपूरणीय क्षति**

सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया मामला–प्रार्थीगण द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये, जिसके अनुसार उक्त भूमि जो कि प्रार्थीगण व उनके पिता व पति की पुश्तैनी कृषि आराजियात है, जो कि विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 द्वारा राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगती कर प्रार्थीगण के पिता व पति जो कि शिव लाल जी की मृत्यु उपरान्त व नामान्तरणकरण खोला गया, जिस वक्त जीवित होते हुए भी उसके पत्नी व पुत्री होते भी उसे लाऔलाद फोत बताकर भूमि को अपने नाम पर दज करा ली है, जबकि उक्त आराजीयात मे 1/4 हक हिस्सा है जिससे हक स्वत्व का बिन्दू विवादित है। कब्जा प्रार्थीगण का प्रमाणित होने से प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रमाणित होता है। उक्त भूमि को अन्तरण आदि होने व प्रार्थीगण का बेदखल करने से प्रार्थीगण को क्षति हो सकती है। प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे एंव विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है।

सुविधा संतुलन–उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होना बताया गया है। जिससे सुविधा संतुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष मे एंव विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है।

अपूरणीय क्षति–चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रमाणित होने से व कब्जा प्रार्थीगण का होने व प्रार्थीगण को बेदखल करने व आराजियात को खुर्द बुर्द करने पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण से अपूरणीय क्षति का विन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है। अतः प्रकरण मे पक्षकारो के मध्य वाद विवाद व वाद बहुल्यता न बढे , सम्पति को संरक्षित व सुरक्षित रखा जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद तक जारी किया जाना उचित पाता हूँ।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र धारा–212 आर.टि.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाती है कि विपक्षीगण ग्राम धुवाला (क) पटवार हल्का धुंवाला (क.) तहसील करेडा जिला भीलवाडा मे आराजी नम्बर 671, 672, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2020, 2027 2028 2029 2030 कुल किता 12 कुल रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे व प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा नही करे व उक्त भूमि को

उपखण्ड अधिकारी करेड़ा
सहायक कलक्टर करेड़ा

किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण नही करे व किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नही करावे व विपक्षीगण मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे।

यह आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)